उत्तराखण्ड शासन

उच्च शिक्षा अनुभाग–07

अधिसूचना
प्रकीर्ण

23 दिसम्बर, 2011 ई0

संख्या 2285/XXIV (7) 47(1)/2008–राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुए उत्तराखण्ड (उच्च शिक्षा विभाग) समूह 'ग' में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड (उच्च शिक्षा विभाग) समूह 'ग' सेवा नियमावली, 2011

भाग–1
सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–

(क) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (उच्च शिक्षा विभाग) समूह 'ग' सेवा नियमावली, 2011 है।
(ख) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. सेवा की प्रास्थिति–

उत्तराखण्ड उच्च शिक्षा विभाग समूह 'ग' सेवा एक ऐसी सेवा है, जिसमें उच्च शिक्षा निदेशालय एवं राजकीय स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालय के समूह 'ग' के पद समाविष्ट हैं।

3. परिभाषाएं–

जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में–

(क) "उपाधि महाविद्यालय (डिग्री कॉलेज)" से ऐसा संबद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय अभिप्रेत है, जो प्रथम उपाधि स्तर पर शिक्षा प्रदान करने के लिए अनन्य रुप से सरकार द्वारा वित्त पोषित हो;
(ख) "निदेशक" से निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है;
(ग) "नियुक्ति प्राधिकारी" से संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है;
(घ) "भारत का नागरिक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो संविधान के भाग–दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय;
(ङ) "मौलिक नियुक्ति" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक आदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो;
(च) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड का राज्यपाल अभिप्रेत है;
(छ) "सरकार" से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है;
(ज) "संविधान" से 'भारत का संविधान' अभिप्रेत है;
(झ) "संयुक्त निदेशक" से उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड में तैनात संयुक्त निदेशक अभिप्रेत है;
(ञ) "सेवा" से उत्तराखण्ड (उच्च शिक्षा विभाग) समूह 'ग' सेवा अभिप्रेत है;
(ट) "सेवा का सदस्य" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली के या इस नियमावली के प्रारम्भ होने से पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;
(ठ) "स्नातकोत्तर महाविद्यालय (पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज)" से ऐसा संबद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय अभिप्रेत है, जो किसी एक या अधिक विषयों या संकायों में स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा प्रदान करने के लिए अनन्य रुप से सरकार द्वारा वित्त पोषित हो;
(ड) "भर्ती का वर्ष" से किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह माह की अवधि अभिप्रेत है।

भाग–2

संवर्ग

4. सेवा का संवर्ग–

(1) सेवा में सदस्य संख्या तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जो समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाय।

(2) सेवा की सदस्य संख्या तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या जब तक उपनियम (1) के अधीन पारित आदेशों के द्वारा परिवर्तित न की जाय, उतनी होगी, जो परिशिष्ट–'क' में दी गयी है;
परन्तु यह कि–

(क) नियुक्ति प्राधिकारी, किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल महोदय उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा;

(ख) राज्यपाल महोदय, ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जैसा वे उचित समझें।

भाग–3

भर्ती

5. भर्ती का स्रोत–

सेवा में विभिन्न पदों पर नियुक्ति परिशिष्ट–'क' के स्तम्भ 7 में उल्लिखित स्रोत से की जायेगी।

6. आरक्षण–

उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग–4

अर्हताएं

7. राष्ट्रीयता–

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी–

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 01 जनवरी, 1962 से पूर्व भारत आया हो; या

(ग) भारतीय मूल का व्यक्ति, जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, म्यांमार (पूर्ववर्ती बर्मा), श्रीलंका (पूर्ववर्ती सीलोन) अथवा केन्या, युगाण्डा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) के पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रव्रजन किया हो :

परन्तु यह कि उक्त श्रेणी (ख) और (ग) से सम्बन्धित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो :

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) से सम्बन्धित अभ्यर्थी के लिए भी पुलिस महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा :

परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उक्त श्रेणी (ग) से सम्बन्धित है तो पात्रता प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के बाद उसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर सेवा में रखा जा सकेगा।

टिप्पणी–जिस अभ्यर्थी के मामले में पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु उसे यह न तो जारी किया गया हो और न ही नामंजूर किया गया हो, उसे परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश दिया जा सकता है और उसे अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है, किन्तु शर्त यह है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

8. शैक्षणिक अर्हताएं–

सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए अर्हताओं का विवरण परिशिष्ट–'ख' के स्तम्भ–3 में दर्शाया गया है।

9. अधिमानी अर्हताएं–

अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में, जिसने–

(क) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष सेवा की हो, या

(ख) नेशनल कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो,

को अन्य बातें समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा।

10. आयु–

सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु, यदि पद 01 जनवरी से 30 जून की अवधि के दौरान विज्ञापित किये जाते हैं, तो जिस वर्ष भर्ती की जाती है, उस वर्ष की 01 जनवरी को जिन पदों की शैक्षिक अर्हता इण्टरमीडिएट है, के लिये 18 वर्ष तथा जिनकी शैक्षिक अर्हता स्नातक है, के लिये 21 वर्ष और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि पद 01 जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि के दौरान विज्ञापित किये जाते हैं तो उस वर्ष की 01 जुलाई को जिन पदों की शैक्षिक अर्हता इण्टरमीडिएट है, के लिये 18 वर्ष तथा जिनकी शैक्षिक अर्हता स्नातक है, के लिये 21 वर्ष और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए :

परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में, जिन्हें सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाय, अधिकतम आयु सीमा उतने वर्षों तक बढ़ाई जायेगी, जैसा कि विहित किया जाय।

11. चरित्र–

सेवा के किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये, जिससे वह सरकारी सेवा में सेवा के लिए सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस विषय में स्वयं समाधान करेंगे।

टिप्पणी–संघ सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व में अथवा नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध से सम्बद्ध सिद्ध दोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

12. वैवाहिक प्रास्थिति–

ऐसा पुरुष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो अथवा ऐसी महिला, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही जीवित पत्नी हो, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति की पात्र नहीं होगी :

परन्तु यह कि यदि सरकार का समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से मुक्त कर सकेगी।

13. शारीरिक स्वस्थता–

किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अनुमोदित करने से पूर्व उससे वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड दो, भाग तीन के अध्याय तीन में समाविष्ट मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा :

परन्तु यह कि पदोन्नति द्वारा नियुक्त अभ्यर्थी के लिए स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगा।

(4)

भाग–5

भर्ती की प्रक्रिया

14. रिक्तियों की अवधारणा–

नियुक्ति प्राधिकारी, तत्समय प्रवृत्त नियमों के अनुसार, वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों और नियम 6 के अधीन उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा और सेवा नियोजन कार्यालय को सूचित करेगा।

15. सीधी भर्ती की प्रक्रिया–

(1) सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु एक चयन समिति गठित की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे–

(एक)	नियुक्ति प्राधिकारी	अध्यक्ष
(दो)	नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के दो प्राचार्य, जिनमें से एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हो, यदि अध्यक्ष अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित न हो।	–सदस्य
(तीन)	नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट स्नातक महाविद्यालय का एक प्राचार्य, जो अन्य पिछड़े वर्ग का हो, यदि अध्यक्ष तथा खण्ड (दो) में निर्दिष्ट स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के प्राचार्यों में से एक प्राचार्य अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित न हो। उक्त की अनुपलब्धता की दशा में, अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित एक वरिष्ठ प्राध्यापक	–सदस्य
(चार)	भर्ती किये जाने वाले पद की अपेक्षाओं के अनुसार सम्बन्धित क्षेत्र में पर्याप्त ज्ञान रखने वाले एक अधिकारी को अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा।	–सदस्य
(पाँच)	सम्बन्धित जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अधिकारी	–सदस्य

(2) सीधी भर्ती हेतु नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आवेदन-पत्र का प्ररूप न्यूनतम ऐसे दो प्रादेशिक दैनिक समाचार-पत्रों में, जिनका व्यापक परिचालन हो, विज्ञापित कराया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थियों से आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जायेंगे, जिनके नाम उत्तराखण्ड राज्य के सेवायोजन कार्यालय में विज्ञप्ति जारी किये जाने से पूर्व पंजीकृत हों।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी, रिक्तियां अधिसूचित करेगा तथा निम्नलिखित रीति से उपनियम (2) के अनुसार सीधी भर्ती के लिए प्रकाशित प्ररूप पर आवेदन-पत्र आमंत्रित करेगा–

(क) ऐसे प्रादेशिक दैनिक समाचार-पत्रों में, जिनका व्यापक परिचालन हो, विज्ञापन जारी करके;

(ख) कार्यालय के सूचना पट पर सूचना चस्पा कर या रेडियो/दूरदर्शन और अन्य रोजगार समाचार-पत्र के माध्यम से विज्ञापन करके;

(ग) उच्च शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट में विज्ञापन द्वारा; और

(घ) रोजगार कार्यालय को नियुक्तियां अधिसूचित करके।

(4) उपनियम (3) के अधीन रिक्तियां अधिसूचित करते समय, आवेदन-पत्र का प्ररूप पुनः प्रकाशित नहीं किया जायेगा।

(5) चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों की 100 अंकों की एक लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ (Objective Type Questions with Multiple Choice) प्रकार की होगी। छटनीशुदा कर्मचारियों को सेवा में एक पूर्ण वर्ष के लिये 5 अंक व अधिकतम 15 अंक दिये जायेंगे। योग्यता सूची, लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों व अन्य मूल्यांकनों के योग के आधार पर तैयार की जायेगी। जिन विषयों की दो घंटे की लिखित परीक्षा ली जायेगी, वह पद के समक्ष परिशिष्ट 'ख' के स्तम्भ–4 में अंकित है, प्रश्न-पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे प्रश्न-पत्र के मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का एक अंक व प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जायेगा।

(6) अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलेट, परीक्षा के पश्चात्, अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

(7) लिखित परीक्षा की उत्तर शीट कार्बन प्रति के साथ डुप्लीकेट में होगी तथा परीक्षा के बाद, डुप्लीकेट प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

(8) लिखित परीक्षा के पश्चात्, लिखित परीक्षा की उत्तरमाला को उत्तराखण्ड की वेवसाइट www.ua.nic.in पर प्रदर्शित किया जायेगा।

(9) आशुलिपिक से भिन्न, विभिन्न श्रेणी के लिपिक वर्गीय पदों पर सीधी भर्ती हेतु लिखित परीक्षा के परिणाम प्राप्त होने और सारणीकरण के पश्चात्, चयन समिति द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ऐसे अभ्यर्थियों को कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण परीक्षा के लिए बुलाया जायेगा, जिन्होंने लिखित परीक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों एवं एक पद हेतु 06 अभ्यर्थी इस परीक्षा हेतु बुलाये जायेंगे। यदि इस अनुपात में अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो पात्रता के मानक से ऊपर सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा हेतु बुलाया जायेगा। कम्प्यूटर टंकण परीक्षा कुल 50 अंक की होगी। प्रत्येक त्रुटि के लिए 1/4 अंक की कटौती होगी एवं 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी ही इस परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे। कम्प्यूटर पर न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन्स प्रति घंटा (4000 Key Depressions Per Hour) की गति प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी ही टंकण/कम्प्यूटर परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किये जायेंगे।

(10) विद्युतकर्मी तथा भ्रमण प्रशिक्षण सहायकों के पदों के अतिरिक्त, अन्य पदों जैसे तबला वादक, कलाकार तथा तकनीशियन (फोटोग्राफी) के लिए, एक प्रवीणता परीक्षा भी आयोजित की जायेगी (जो केवल अर्हकारी होगी)। प्रवीणता परीक्षा में अर्ह पाये जाने पर लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर चयन की अन्तिम सूची बनाई जायेगी। यदि चयन समिति, अभ्यर्थियों की निपुणता जानना चाहती है, तो यह पूर्णरूप से चयन समिति के विवेक पर निर्भर करेगा कि वह व्यवहारिक परीक्षा का आयोजन करे।

(11) आशुलिपिकों के पदों पर चयन हेतु हिन्दी आशुलिपि और टंकण की परीक्षा होगी। टंकण परीक्षा के लिए 4000 की डिप्रेशन्स प्रति घंटा (4000 Key Depressions Per Hour) तथा आशुलिपि परीक्षा के लिए 80 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति निर्धारित होगी। हिन्दी आशुलेखन तथा कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण परीक्षा 50 अंकों की होगी। जिन अभ्यर्थियों ने विहित न्यूनतम गति प्राप्त की होगी, उनको ही अंक दिये जायेंगे। टंकण परीक्षा या आशुलिपि और टंकण परीक्षा में अभ्यर्थियों को उनके लिखित परीक्षा के प्राप्तांक व अन्य मूल्यांकनों के योग के आधार पर बुलाया जायेगा। टंकण परीक्षा या आशुलिपि और टंकण परीक्षा के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या, रिक्तियों की संख्या की चार गुना होगी।

टिप्पणी–(क) हिन्दी आशुलिपि परीक्षा में पांच मिनट का एक गद्यांश बोला जायेगा, लिप्यंतर और टंकण के लिये 4000 की डिप्रेशन्स प्रति घंटा (4000 Key Depressions Per Hour) व आशुलिपि परीक्षा के लिये न्यूनतम गति 80 शब्द प्रति मिनट आवश्यक होगी;

(ख) हिन्दी टंकण के लिए पाँच मिनट का समय दिया जायेगा;

(ग) यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी बोले गये गद्यांश के लिप्यांतर करने में पाँच प्रतिशत से अधिक गलतियां न करें;

(घ) अन्य बातों के समान होने पर, अंग्रेजी आशुलिपि और टंकण की जानकारी तथा योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा।

(12) चयन समिति, प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा लिखित परीक्षा एवं कम्प्यूटर टंकण/आशुलिपिक परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर एक योग्यता सूची बनायेगी और नियुक्ति के लिए उन्हीं अभ्यर्थियों की संस्तुति करेगी, जिन्हें वह नियुक्ति के योग्य समझती है। यदि दो या उससे अधिक अभ्यर्थियों के अंक बराबर हों, तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची में संस्तुत नामों की संख्या, रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अधिक नहीं) होगी। चयन समिति द्वारा सूची नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

(13) चयन प्रक्रिया पूर्ण होने पर, चयनित अभ्यर्थियों द्वारा चयन परीक्षा में प्राप्त किये गये कुल अंकों के योग को, व्यापक परिचालन वाले दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशित किया जायेगा तथा उत्तराखण्ड वेबसाइट पर, संबंधित जनपद के जिला अधिकारी कार्यालय और संबंधित कार्यालय के सूचना पट पर प्रदर्शित किया जायेगा।

(14) चयन के लिए अभ्यर्थियों से चयन समिति को ऐसी फीस देने की अपेक्षा की जायेगी, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय। फीस की वापसी के लिए कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(15) अभ्यर्थियों द्वारा ऐसी फीस का, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय, भुगतान करने पर, चयन समिति द्वारा की गयी चयन प्रक्रिया से संबंधित अभिलेखों और उसमें दिये गये अंकों का निरीक्षण करने की अनुमति दी जायेगी। यदि कोई अभ्यर्थी ऐसी इच्छा व्यक्त करे तो उसे दो रुपये प्रति पृष्ठ की दर से फीस का भुगतान करने पर ऐसे अभिलेखों की छाया प्रतियां भी दी जायेंगी।

16. पदोन्नति के लिए भर्ती प्रक्रिया–

(1) पदोन्नति द्वारा भर्ती समय-समय पर यथा संशोधित "उत्तराखण्ड पदोन्नति समिति का गठन (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों के लिये) नियमावली, 2002" के उपबन्धों के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से दिये गये मानदण्ड के आधार पर की जायेगी :

परन्तु यह कि यदि इस प्रकार गठित चयन समिति में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों में से प्रत्येक से सम्बन्धित व्यक्ति सम्मिलित नहीं है, ऐसी जातियों/जनजातियों और वर्गों, जिसका चयन समिति में प्रतिनिधित्व नहीं है से सम्बन्धित कोई अधिकारी, जो राज्य सरकार के संयुक्त सचिव स्तर से निम्न स्तर का न हो, चयन समिति के सदस्य के रुप में नाम निर्दिष्ट किया जायेगा।

(2) उक्त पदों पर पदोन्नति हेतु उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिये मानदण्ड) नियमावली, 2004 एवं लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों पर पदोन्नति हेतु उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर) राज्याधीन सेवाओं में अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता एवं श्रेष्ठता के आधार पर, पदोन्नति के द्वारा किये जाने वाले चयनों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया नियमावली, 2009 के प्राविधान लागू होंगे।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी, पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जाये, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(4) चयन समिति, उप नियम (3) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(5) चयन समिति द्वारा चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में, जैसी उस संवर्ग में हो, जिससे उसकी पदोन्नति की जाती है, एक सूची तैयार करेगी और नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

भाग–6

नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण एवं ज्येष्ठता

17. नियुक्ति–

नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियों के नाम उस क्रम में लेकर, जिसमें वे नियम 15 या 16 यथास्थिति, के अधीन बनायी गयी सूचियों में हों, नियुक्ति करेगा।

18. परिवीक्षा–

(1) सेवा या किसी स्थायी पद पर या उसके विरुद्ध रिक्ति पर नियुक्त व्यक्ति दो वर्षों की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, पृथक्-पृथक् मामले में परिवीक्षा का दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुए, जब तक अवधि बढ़ाई गयी है, अवधि बढ़ा सकता है, जिसके कारण अभिलिखित करने होंगे :

परन्तु यह कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक या किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी।

(3) यदि नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत होता है कि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी समय या परिवीक्षा अवधि की समाप्ति अथवा परिवीक्षा की बढ़ाई गयी अवधि में, किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति द्वारा अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया है या अन्यथा समाधान प्रदान करने में असफल रहा है, तो उसे उसके मूल पद पर, यदि कोई है, प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा या यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार नहीं है, तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।

(4) ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित कर दिया गया हो अथवा जिसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी, परिवीक्षा अवधि की संगणना के प्रयोजन हेतु उस निरन्तर सेवा को गिने जाने की अनुमति दे सकेगा, जो उस विशिष्ट संवर्ग में शामिल किये गये पद पर या किसी समान अथवा उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रुप में प्रदान की गयी हो।

19. स्थायीकरण–

परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, उसकी नियुक्ति में, उसकी परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर स्थायी किया जा सकेगा, यदि–

(क) उसका कार्य व आचरण संतोषजनक बताया गया हो,

(ख) यदि सत्यनिष्ठा अभिप्रमाणित है, तथा

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो गया है कि वह स्थायीकरण हेतु अन्यथा उपयुक्त है।

20. ज्येष्ठता–

सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (ज्येष्ठता) नियमावली, 2002 के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

भाग–7

वेतन आदि

21. वेतनमान–

(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को अनुमन्य वेतनमान वह होगा, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान परिशिष्ट–'क' पर दर्शाये गये हैं।

22. परिवीक्षा अवधि में वेतन–

(1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल प्राविधान के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो तो उसे एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने पर समयमान में प्रथम वेतन वृद्धि की अनुमति प्रदान की जायेगी तथा दूसरी वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् परिवीक्षा अवधि पूर्ण किये जाने तथा स्थायी किये जाने पर दी जायेगी :

परन्तु यह कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है तो इस प्रकार बढ़ाई गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए तक तक नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(2) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो सरकार के अधीन पहले से ही पद धारण कर रहा है, संगत मूल नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा :

परन्तु यह कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें, ऐसी बढ़ाई गयी अवधि वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिनी जायेगी।

(3) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो पहले से ही स्थायी सरकारी सेवा में है, राज्य के कार्यों से सम्बन्धित सामान्य सेवारत सरकारी सेवकों पर लागू संगत नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

भाग–8

अन्य प्राविधान

23. पक्ष समर्थन–

किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित संस्तुति से भिन्न किसी संस्तुति, चाहे लिखित हो या मौखिक, पर विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रमाण उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

24. अन्य विषयों का विनियमन–

ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति, राज्य के कार्य-कलापों के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

25. सेवा शर्तों का शिथिलीकरण–

जहां राज्य सरकार का समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, उस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्ति दे सकती है या उसे शिथिल कर सकती है :

परन्तु यह कि जहां आयोग की सलाह पर नियम बनाये जाने की दशा में नियम को अभिमुक्त करने अथवा शिथिल करने के लिए उसी निकाय से सलाह ली जायेगी।

26. व्यावृत्ति–

इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबंधित किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट–"क"

{देखिये नियम 4 का उपनियम (2) एवं नियम 21 का उपनियम (2)}

लिपिक वर्गीय संवर्ग

क्र0 सं0	पदनाम	वेतन बैंड	पुनरीक्षित वेतनमान रु0	कुल पदों की संख्या	नियुक्ति प्राधिकारी	नियुक्ति का स्त्रोत
1	2	3	4	5	6	7
1.	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	वेतन बैंड–2	9300–34800 ग्रेड पे–4600	05	संयुक्त निदेशक	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रशासनिक अधिकारी, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 02 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो अथवा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 20 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा
2.	वैयक्तिक अधिकारी	वेतन बैंड–2	9300–34800 ग्रेड पे–4600	04	संयुक्त निदेशक	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 05 वर्ष या संवर्ग में कुल 15 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा की जायेगी
3.	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	वेतन बैंड–2	9300–34800 ग्रेड पे–4200	09	तदैव	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे कार्मिक जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में, वैयक्तिक सहायक समकक्ष पद पर की गयी न्यूनतम 08 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा की जायेगी
4.	प्रशासनिक अधिकारी	वेतन बैंड–2	9300–34800 ग्रेड पे–4200	45	तदैव	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे मुख्य सहायक, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो अथवा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 17 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

1	2	3	4	5	6	7
5.	लेखाकार	वेतन बैंड–2	9300–34800 ग्रेड पे–4200	01	संयुक्त निदेशक	ऐसे सहायक लेखाकारों में से, जिन्हें अपने पद पर कम से कम 03 वर्ष का अनुभव हो, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये पदोन्नति द्वारा
6.	मुख्य सहायक	वेतन बैंड–1	5200–20200 ग्रेड पे–2800	46	तदैव	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रवर सहायक, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 05 वर्ष सेवा पूर्ण कर ली हो तथा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 11 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा
7.	सहायक लेखाकार	वेतन बैंड–1	5200–20200 ग्रेड पे–2800	07	तदैव	विभागीय चयन समिति के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया में निहित प्राविधानों के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा
8.	लेखा परीक्षक	वेतन बैंड–1	5200–20200 ग्रेड पे–2800	02	तदैव	ऐसे प्रवर सहायक में से जो वाणिज्य स्नातक हों तथा मुख्य सहायक/वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति हेतु अर्ह हो, पदोन्नति द्वारा अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति द्वारा की जायेगी अथवा उल्लिखित श्रेणी के प्रवर सहायक की अनुपलब्धता पर विभागीय चयन समिति के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया में 2009–10 के प्राविधानों के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा
9.	अन्वेषक सह संगणक/ डाटा ऑपरेटर	वेतन बैंड–1	5200–20200 ग्रेड पे–2800	02	तदैव	विभागीय चयन समिति के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया में निहित प्राविधानों के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा
10.	आर्टिस्ट	वेतन बैंड–1	5200–20200 ग्रेड पे–2800	02	तदैव	विभागीय चयन समिति के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया में विहित प्राविधानों के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा
11.	वैयक्तिक सहायक	वेतन बैंड–1	5200–20200 ग्रेड पे–2800	14	तदैव	विभागीय चयन समिति के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया में विहित प्राविधानों के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा।
12.	प्रवर सहायक	वेतन बैंड–1	5200–20200 ग्रेड पे–2400	76	तदैव	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे कनिष्ठ सहायक जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 06 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

1	2	3	4	5	6	7
13.	प्रयोगशाला सहायक	वेतन बैंड–1	5200–20200 ग्रेड पे–2000	219	संयुक्त निदेशक	भर्ती प्रक्रिया में विहित प्राविधानों के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा
14.	इलैक्ट्रीशियन/ मैकेनिक	वेतन बैंड–1	5200–20200 ग्रेड पे–2000	12	तदैव	विभागीय चयन समिति के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया में विहित प्राविधानों के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा
15.	कनिष्ठ सहायक	वेतन बैंड–1	5200–20200 ग्रेड पे–1900	48	तदैव	(क) 75 प्रतिशत विभागीय चयन समिति के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया में विहित प्राविधानों के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा (ख) 25 प्रतिशत अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी (सीधी भर्ती) (संशोधन) सेवा नियमावली के निहित प्राविधानों के अनुसार पदोन्नति द्वारा
16.	तबला वादक	वेतन बैंड–1	5200–20200 ग्रेड पे–1900	09	तदैव	विभागीय चयन समिति के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया में विहित प्राविधानों के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा
17.	तकनीशियन	वेतन बैंड–1	5200–20200 ग्रेड पे–1900	02	तदैव	विभागीय चयन समिति के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया में विहित प्राविधानों के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा
18.	तकनीशियन (फोटोग्राफी)	वेतन बैंड–1	5200–20200 ग्रेड पे–2000	01	तदैव	विभागीय चयन समिति के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया में विहित प्राविधानों के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा
19.	टूर एण्ड ट्रेनिंग असिस्टेंट	वेतन बैंड–1	5200–20200 ग्रेड पे–2000	01	तदैव	विभागीय चयन समिति के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया में विहित प्राविधानों के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा
20.	कम्प्यूटर ऑपरेटर	वेतन बैंड–1	5200–20200 ग्रेड पे–1900	01	तदैव	विभागीय चयन समिति के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया में विहित प्राविधानों के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा

टिप्पणी–लेखाकार, सहायक लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के पद तब तक सामान्य संवर्ग के रूप में होंगे, जब तक वेतन समिति/शासनादेश के अनुरूप लेखा/लेखा परीक्षा संवर्ग का गठन नहीं किया जाता। लेखा/लेखा परीक्षा संवर्ग के गठन के बाद ही शैक्षिक योग्यता एवं परीक्षा के आधार पर इस संवर्ग का वेतनमान देय होगा।

परिशिष्ट–"ख"
(देखिये नियम 8)

उच्च शिक्षा निदेशालय तथा स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के पद

क्र0 सं0	पदनाम	सीधी भर्ती हेतु विहित अनिवार्य अर्हतायें	विषय जिनकी परीक्षा ली जाएगी	आयु सीमा वर्ष में
1	2	3	4	5
1.	सहायक लेखाकार	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में लेखाशास्त्र विषय सहित स्नातक की उपाधि अथवा पोस्ट ग्रेज्युऐट, डिप्लोमा-इन एकाउन्टेंसी की अर्हता के साथ कम्प्यूटर संचालन में ओ0 लेविल सर्टिफिकेट जिसमें कम्प्यूटर पर 4000 K.D.P.H की गति होना अनिवार्य है	सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन तथा लेखाशास्त्र (एकाउन्टेंसी) विषय, कम्प्यूटर अनुप्रयोग की सामान्य जानकारी	21–35
2.	अन्वेषक-सह संगणक/ डाटा ऑपरेटर	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित या सांख्यकी विषय के साथ स्नातक की उपाधि तथा कम्प्यूटर में D.O.E.A.C. का ओ0 लेविल या किसी प्रतिष्ठित एवं मान्यता प्राप्त संस्थान का समकक्ष प्रमाण-पत्र/डिप्लोमा जिसमें कम्प्यूटर पर 4000 K.D.P.H की गति होना अनिवार्य है	सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन गणित या सांख्यकी विषय एवं कम्प्यूटर अनुप्रयोग की सामान्य जानकारी	21–35
3	आर्टिस्ट	चित्रकला विषय के साथ मान्यता प्राप्त स्नातक उपाधि अथवा माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड की इण्टरमीडिएट परीक्षा ललित कला विषय के साथ या श्री राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण अधिमान अर्हता–ड्राइंग पेन्टिंग विषय के साथ मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर उपाधि	सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, ललितकला विषय की सामान्य जानकारी	21–35
4.	आशुलिपिक ग्रेड–2	1–माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश/ उत्तराखण्ड की इण्टरमीडिएट परीक्षा या राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण 2–हिन्दी आशुलिपिक में 80 शब्द प्रति मिनट तथा हिन्दी टंकण की कम्प्यूटर पर 4000 Key Depression प्रति घंटे की गति सीमा होनी चाहिए। अन्य बातों के समान होने पर, ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जो अंग्रेजी आशुलिपि तथा टंकण जानता हो। स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी को भी अधिमान दिया जायेगा	सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन तथा सामान्य हिन्दी में लिखित परीक्षा एवं हिन्दी आशुलेखन तथा कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण	21–35

1	2	3	4	5
5.	लेखा परीक्षक	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में लेखाशास्त्र विषय सहित स्नातक की उपाधि अथवा पोस्ट ग्रेज्युऐट, डिप्लोमा-इन एकाउन्टेंसी की अर्हता के साथ कम्प्यूटर संचालन में ओ0 लेविल सर्टिफिकेट जिसमें कम्प्यूटर पर 4000 K.D.P.H. की गति होना अनिवार्य है	सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन तथा लेखाशास्त्र (एकाउन्टेंसी) विषय तथा कम्प्यूटर अनुप्रयोग की सामान्य जानकारी	21–35
6.	प्रयोगशाला सहायक	माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तरप्रदेश/उत्तराखण्ड की इण्टरमीडिएट परीक्षा, प्रयोगशाला से संबंधित विषय के साथ या राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण। अधिमान अर्हताएं– 1. संबंधित प्रयोगशाला विषय से सम्बन्धित मान्यता प्राप्त स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि। 2. कम्प्यूटर अनुप्रयोग में किसी प्रतिष्ठित संस्थान का न्यूनतम 6 माह की अवधि का प्रमाण-पत्र	सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन तथा सम्बन्धित प्रयोगशाला से सम्बन्धित विषय तथा कम्प्यूटर अनुप्रयोग की सामान्य जानकारी।	18–35
7.	इलैक्ट्रीशियन/ मैकेनिक	1. माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तरप्रदेश/उत्तराखण्ड की हाईस्कूल परीक्षा या राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण 2. मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से इलैक्ट्रीशियन/इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड में उत्तीर्ण।	सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन तथा इलैक्ट्रीशियन/मैकेनिक विषय की सामान्य जानकारी	18–35
8.	कनिष्ठ सहायक	1. माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तरप्रदेश/उत्तराखण्ड की हाईस्कूल परीक्षा या राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण 2. कम्प्यूटर में न्यूनतम 4000 की-डिप्रेशन्स की डाटा एन्ट्री की गति और एम0एस0 ऑफिस संचालन में प्रवीणता। अधिमान अर्हताएं–स्नातक/स्नातकोत्तर	सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन तथा सामान्य हिन्दी	18–35
9.	तबला वादक	संगीत (तबला) विषय के साथ माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड की इण्टरमीडिएट परीक्षा या राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण अधिमान अर्हता– संगीत, तबला विषय के साथ स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि।	सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन तथा संगीत विषय की सामान्य जानकारी	18–35

1	2	3	4	5
10.	तकनीशियन	1. माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश/ उत्तराखण्ड की हाईस्कूल परीक्षा या राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण 2. मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड में उत्तीर्ण	सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन तथा इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक विषय की सामान्य जानकारी	18–35
11.	तकनीशियन (फोटोग्राफी)	1. माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश/ उत्तराखण्ड की हाईस्कूल परीक्षा या राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण 2. मान्यता प्राप्त संस्थान से फोटोग्राफी में डिप्लोमा, अनुभव अभ्यर्थी को वरीयता	सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन तथा फोटोग्राफी विषय की सामान्य जानकारी	18–35
12.	टूर एण्ड ट्रेनिंग असिस्टैन्ट	1. माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश/ उत्तराखण्ड की हाईस्कूल परीक्षा या राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण 2. मान्यता प्राप्त संस्थान से टूरिज्म में डिप्लोमा, अनुभव अभ्यर्थी को वरीयता।	सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन तथा टूरिज्म विषय की सामान्य जानकारी	18–35
13.	कम्प्यूटर ऑपरेटर	1. माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश/ उत्तराखण्ड की हाईस्कूल परीक्षा या राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण 2. मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर में डिप्लोमा/सर्टिफिकेट 4000 KDPH.,	सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन तथा कम्प्यूटर संचालन की सामान्य जानकारी।	18–35

आज्ञा से,

उत्पल कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव।